6/3/20	अभिभाषक उभयपक्ष उप०। चूंकि उक्त अपील से सम्बन्धित मूल अपील संख्या 16/2015 उनवानी पाथ इंडिया लि० V/S सरकार में प्रार्थना पत्र आदेश-23 नियम-1 CPC स्वीकार होने पर दि० 6/3/20 को विड्रॉ की जाकर खारिज हो चुकी है। इस अपील में प्रार्थी मुकेश कुमार व अन्य के अभिभाषक की ओर से एक प्रा०पत्र दस्तावेज रिकार्ड पर लेकर अपील का निस्तारण किये जाने बावत पेश हुआ है। जिसके साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर का निर्णय दिनांक 29/6/2018 उनवानी सरकार V/S रमेशचन्द वगैरा पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धौलपुर ने विवादित आराजी के खातेदारान द्वारा बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित आराजी में गैर कृषि कार्य किये जाने पर अपीलान्ट के विरुद्ध

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	धारा 91 LR एक्ट की कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट को बेदखल करने के आदेश दिनांक 6-4-15 पारित कर दिये जिसके विरुद्ध अपीलान्ट ने यह अपील की है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तर्गत धारा 177 R.T.Act की कार्यवाही करते हुये न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धौलपुर में विवादित भूमि को सिवायचक दर्ज करने हेतु प्रस्तुत कर दी। न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धौलपुर ने प्रा० पत्र धारा 177 R.T.Act का निर्णय दिनांक 29/6/18 को करते हुये कि वर्तमान में विवादित भूमि पर कोई और कृषि कार्य नहीं होना पाये जाने के कारण प्रा० पत्र की कार्यवाही को ड्रॉप कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धौलपुर के द्वारा की गई धारा 91 LR एक्ट की कार्यवाही में कोई सार नहीं रह जाता है। अतः न्यायालय उप खण्ड अधिकारी धौलपुर का निर्णय दिनांक 29/6/18 रिकार्ड पर लिया जाकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धौलपुर का निर्णय दिनांक 6-4-2015 निरस्त किया जाता है। उक्त आदेशिका की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। नरेन्द्र के0 वर्मा अति0 जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर	